निदेशालय

।। गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

फोन :– 0141–2612018, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : hg.trg.rj@nic.in

क्रमांकः गृरमु/प्रशि./डी–1( ) 2020/3932-82 दिनांक : 17-02-2021

मृतक स्वयं सेवकों के आश्रितो के नामांकन नीति

संशोधन आदेश (दिनांक 17.02.2021)

गृह रक्षा विभाग मे मृतक स्वयं सेवको के आश्रितों को गृह रक्षा सदस्यता प्रदान करने के संबंध मे निदेशालय के परिपत्र क्रमांक 1713–54 दिनांक 28.01.2019 द्वारा प्रत्येक बटालियन कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट को अपने अधीन नामांकित स्वयं सेवक की मृत्यु उपरान्त 6 माह की अवधि मे उसके आश्रित से निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त आवेदन पत्रो पर अभिशंषा सहित प्रकरण निदेशालय को भिजवाये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है । इस क्रम में आदेश दिये जाते है कि मृतक स्वयं सेवको के आश्रितों से स्वयंसेवक की मृत्यु से 06 माह के पश्चात एवं 01 वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त होने वाले आवदेन पत्रों पर नामांकन हेतु निदेशालय स्तर पर निर्णय लिया जावेगा। अतः 06 माह के पश्चात् एवं 01 वर्ष के भीतर प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मय सम्पूर्ण दस्तावेजों के प्रकरण निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर को भिजवाकर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावें । शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेगे ।

आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।

(यू.आर.साहू)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु –:

1. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति.महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राज0 जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा राज0 जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा राज0 जयपुर।
6. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
7. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. अपलोड वैबसाईट राज0 जयपुर

उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर